

डा० मुकुल कुमार सती  
अपर राज्य परियोजना निदेशक।



उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्,  
राज्य परियोजना कार्यालय,  
तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा,  
रायगढ़, देहरादून।  
Website: <http://ssa.uk.gov.in/>  
Email - [spd-ssa-uk@nic.in](mailto:spd-ssa-uk@nic.in)  
Fax No: (0135) 2781941, 2781942

सेवा में

तत्काल / उच्च प्राथमिकता / फैक्स / ई-मेल / आज ही

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संरक्षण, समस्त जनपद—उत्तराखण्ड।
3. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद—उत्तराखण्ड।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

पत्रांक :-

रा०प०नि०/।८७ /पैडागॉजी/ISTT (94)/2016-17 दिनांक ०६ मई, २०१६

विषय :-

शैक्षिक सत्र 2016-17 में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विषयक।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2016-17 के लिए, भारत सरकार की पी०ए०बी० (Project Approval Board) द्वारा निम्नलिखित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति हुई है —

क्र.सं.	प्रशिक्षण के प्रकार	स्तर	कक्षा	अवधि
1	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class I & II .	BRC	I & II	5 days (2+2+1)
2	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class III & V .	BRC	III to V	- Do -
3	Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	BRC	VI to VIII	5 days (4+1)
4	Science, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	BRC	VI-VIII	5 days (4+1)
5	Follow-up of Training on Early Language, Maths , Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS for class I & II .	CRC	I-II	5 days
6	Follow-up of Training on Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class III & V .	CRC	III-V	5 days
7	Follow-up of training on Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	CRC	VI-VIII	5 days
8	Follow-up of training on Science, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	CRC	VI-VIII	5 days

उक्त सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किये जा रहे हैं —

**राज्य स्तर पर मॉड्यूल निर्माण:-** सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 03 मई, 2016 से दिनांक 10 मई, 2016 तक राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान ननूरखेड़ा, देहरादून में सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण हेतु माड्यूल निर्माण का कार्य गतिसान है। दिनांक 15 मई, 2016 तक माड्यूल्स को अन्तिम रूप प्रदान कर Ready to print CD/DVD



मुद्रण हेतु जिला परियोजना कार्यालयों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। जनपदों में माझ्यूल्स के मुद्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय ताकि डॉयट/ब्लाक स्तर पर सम्पन्न होने वाले एम.टी./अध्यापक प्रशिक्षण में अध्यापकों को माझ्यूल्स समय से प्राप्त हो जाए। सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न चरणों के अनुसार प्रस्तावित है –

**1. मुख्य संदर्भदाता (KRPs) प्रशिक्षण :-** राज्य स्तर पर निम्नलिखित विवरणानुसार मुख्य संदर्भदाता प्रशिक्षण प्रस्तावित है—

क्र. सं	प्रशिक्षण का प्रकार	कक्षा	मुख्य संदर्भदाता (KRPs) प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class I & II .	1 & 2	11 से 15 मई, 2016 तक (05 days)	राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, तपोवन मार्ग ननूरखेड़ा, देहरादून।
2	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class III & V.	3 to 5	11 से 15 मई, 2016 तक (05 days)	सीमैट सभागार तपोवन मार्ग ननूरखेड़ा, देहरादून।
3	Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	6 to 8	11 से 15 मई, 2016 तक (05 days)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहस्र धारा रोड, मयूर विहार, देहरादून।
4	Science, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	6 to 8	11 से 15 मई, 2015 तक (05 days)	जिला परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान) सहस्र धारा रोड, मयूर विहार, देहरादून।

डायट द्वारा जिला परियोजना अधिकारी के सहयोग से मुख्य संदर्भदाताओं (KRPs) का चयन, तत्काल सम्पन्न कर दिनांक 7 मई, 2016 तक सूची राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से Email/Fax/Hard copy/वाहक के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाए। मुख्य संदर्भदाता प्रशिक्षण हेतु डायट के विषय से सम्बन्धित प्रवक्ताओं अथवा विषय के DRG के सदस्यों को अनिवार्य रूप से भेजा जाए। Early Grade Reading writing & Language हेतु डायट में गठित Reading Cell अथवा हिन्दी भाषा की DRG को चयन का आधार बनाया जाए। विषय से सम्बन्धित डायट प्रवक्ता उपलब्ध न होने की स्थिति में ही विद्यालयों के योग्य एवं विषय में रुचि रखने वाले सकारात्मक दृष्टिकोण वाले अध्यापकों और सहयोगी संस्थाओं के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। सभी स्तर पर प्रतिभागी अपने साथ विगत वर्ष के प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रशिक्षण स्थल पर अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे। आपके जनपद से कुछ प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक वर्तमान में राज्य स्तर पर मॉड्यूल निर्माण का कार्य कर रहे हैं, सम्बन्धित व्यक्तियों को भी मुख्य संदर्भदाता (KRPs) प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु मॉड्यूल निर्माण से सम्बन्धित प्रतिभागियों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। मुख्य संदर्भदाता प्रशिक्षण में जनपदों से निम्नलिखित विवरणानुसार प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे –

- Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class I & II – हेतु प्रत्येक जनपद से 2 (1 भाषा + 1 गणित) प्रतिभागी, तथा जनपद पौड़ी से 4 (2 भाषा + 2 गणित) प्रतिभागी, प्रतिभाग करेंगे।
- Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class III & V – हेतु प्रत्येक जनपद से 2 (1 भाषा + 1 गणित) प्रतिभागी, तथा जनपद पौड़ी से 4 (2 भाषा + 2 गणित) प्रतिभागी, प्रतिभाग करेंगे।

- Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII – हेतु प्रत्येक जनपद से गणित विषय के 2 प्रतिभागी, तथा पौँडी जनपद से गणित विषय के 4 प्रतिभागी, प्रतिभाग करेंगे।
- Science, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII – हेतु प्रत्येक जनपद से विज्ञान विषय के 2 प्रतिभागी, तथा पौँडी जनपद से विज्ञान विषय के 4 प्रतिभागी, प्रतिभाग करेंगे।

मुख्य संदर्भदाता (KRPs) प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि को प्रातः 9:30 बजे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होना होगा। प्रतिभागियों की निश्चित संख्या से कम उपस्थिति अथवा विलम्ब से पंहुचने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य डायट तथा जिला परियोजना अधिकारी का होगा। अतः सभी प्रतिभागियों को समय से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रतिभागियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था सीमैट हॉस्टल तपोवन रोड ननूरखेड़ा, रायपुर देहरादून में की गयी है, जगह कम होने की स्थिति में आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी होटल में आवास की स्थिति में Twin Sharing Basis पर नियमानुसार बिल का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

**2. मास्टर ट्रेनर्स (MTs) का डायट पर जनपद स्तरीय प्रशिक्षण** :— मास्टर ट्रेनर्स (MTs) का डायट स्तर पर प्रशिक्षण निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पन्न किया जायेगा —

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण तिथि / अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class I & II .	17 से 21 मई, 2016 तक (05 days)	डायट
2	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class III & V.	17 से 21 मई, 2016 तक (05 days)	डायट
3	Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	17 से 21 मई, 2016 तक (05 days)	डायट
4	Science, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	17 से 21 मई, 2016 तक (05 days)	डायट

जनपद पौँडी में अधिक प्रशिक्षण कक्षों की आवश्यकता होगी। कृपया तदनुसार आवश्यक व्यवस्था कर लें। मास्टर ट्रेनर्स के चयन में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मास्टर ट्रेनर्स हेतु बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करना है जिससे कि वे सकुल स्तर पर आयोजित होने वाले follow-up of training तथा विद्यालयों में भी अपने अकादमिक अनुसमर्थन के दायित्वों का निर्वहन कर सकें। मास्टर ट्रेनर्स हेतु सम्बन्धित विषय की योग्यता तथा रूचि रखने वाले अध्यापकों, सहयोगी संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ आदि का चयन किया जाए। जिले में बने विषयों की DRG के सदस्यों को उस विषय हेतु MT के रूप में चयन हेतु प्राथमिकता दी जाय। मास्टर ट्रेनर्स का चयन डायट द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, डायट के विकासखण्ड मेन्टर्स तथा बी.आर.सी. समन्वयक के सहयोग से किया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रत्येक विकासखण्ड से निम्नलिखित विवरणानुसार मास्टर ट्रेनर्स का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जायेगा —

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	विकासखण्डवार मास्टर ट्रेनर्स की संख्या
1	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class I & II .	4 (2+2)
2	Early Language, Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class III & V.	4 (2+2)

3	Maths, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	4
4	Science, Cleanliness, CCE, PINDICS, LINDICS, Teacher Diary for class VI & VIII .	4

प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना अधिकारी द्वारा मास्टर ट्रेनर्स की सूची की भली-भौति जाँच कर ली जाय एवं **दिनांक 15 मई, 2016** तक सूची राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से Email/Fax/Hard copy के माध्यम से उपलब्ध करवानी होगी। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में जिन प्रतिभागियों ने मॉड्यूल निर्माण कार्यशाला में प्रतिभाग किया, उन्हें मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में आमत्रित किया जाये ताकि वे आवश्यकतानुसार मास्टर ट्रेनर का अपना सहयोग प्रदान कर सके। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण का प्रभाव प्रशिक्षण साहित्य के सम्प्रेषण में दृष्टिगोचर हुई चुनौतियाँ, प्रशिक्षण साहित्य में उल्लिखित अच्छे प्रयास इत्यादि की आख्या डायट स्तर पर उपलब्ध करायी जाय एवं संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाय।

**3. ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :-** मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के पश्चात, ब्लाक स्तरीय सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण सम्पन्न किये जाने हैं। चारों प्रकार के प्रशिक्षण दो फेरों (**दिनांक 23 से 27 मई, 2016** तथा **दिनांक 4 से 8 जुलाई, 2016** तक) में सम्पन्न किये जाने हैं। राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सम्पर्क फाउण्डेशन द्वारा शुरूआती कक्षाओं के लिए गणित किट उपलब्ध कराया जा रहा है अतः शुरूआती कक्षा 1 व 2 के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण सम्पर्क फाउण्डेशन एवं विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से तैयार किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, उक्त प्रशिक्षण में सम्पर्क फाउण्डेशन के प्रतिनिधि प्रशिक्षक के रूप में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। जनपद चम्पावत में रुम टू रीड इण्डिया के सहयोग से शुरूआती भाषा कक्षा 1 व 2 के लिए कार्य किया जा रहा है अतः रुम टू रीड के प्रतिनिधि जनपद चम्पावत में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षक के रूप में प्रतिभाग करेंगे।

प्रशिक्षण कक्षों के लिए समीपस्थ हाई स्कूल/इण्टर मीडिएट कालेज के कक्षा-कक्षों एवं विज्ञान विषय के प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशाला का उपयोग किया जा सकता है। विज्ञान प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक कार्य हेतु सामग्री अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध करायी जाय। ब्लाक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल्स उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों के द्वारा चाही गई सामग्री उनको समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध करायायी जाए जिससे कि प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ब्लॉक स्तरीय सेवारत प्रशिक्षण की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाय एवं प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत वीडियोग्राफी की एक सी0डी0 राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारी अवश्य नामित किये जाएं तथा प्रशिक्षित होने वाले अध्यापकों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को निम्न निर्धारित प्रारूपों पर अनिवार्य रूप में **ए-4 लैण्डस्केप साईज में ई-मेल / हार्ड कॉपी** के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

#### प्रारूप -1

जनपद का नाम .....

क्र. सं.	विकासखण्ड	संकुल केन्द्र	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विद्यालय का नाम	मोबाइल नम्बर (अनिवार्य)	प्रशिक्षण का विषय

११

## प्रारूप -2

जनपद का नाम ..... विकासखण्ड का नाम .....

क्र. सं.	खण्ड विकासिकारी		उपखण्ड विकासिकारी		नोडल अधिकारी		ब्लॉक समन्वयक	
	नाम	मो० नम्बर (अनिवार्य)	नाम	मो० नम्बर (अनिवार्य)	नाम	मो० नम्बर (अनिवार्य)	नाम	मो० नम्बर (अनिवार्य)

**4. संकुल स्तरीय पश्चोषण** (Follow-up of training) प्रशिक्षण :- ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् माह अगस्त से दिसम्बर, 2016 तक प्रत्येक माह संकुल संसाधन केन्द्रों (CRC) पर प्रत्येक विषय की एक-एक दिन की पश्चोषण प्रशिक्षण (Follow-up of training) आयोजित की जानी है। पश्चोषण प्रशिक्षण (Follow-up of training) में BRC स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण के कक्षा-कक्ष में अनुप्रयोग के दौरान प्राप्त अनुभवों की Sharing अन्य अध्यापकों के साथ कर सकेंगे तथा अध्यापक एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अध्यापक एक दूसरे के अनुभवों से शिक्षण-अधिगम को अधिक प्रभावशाली/परिणामदायी बना सकेंगे। सी०आर०सी० स्तरीय पश्चोषण प्रशिक्षण (Follow-up of training) को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।


जनपद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर सम्पन्न किये जाने वाले प्रशिक्षणों का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से दो सप्ताह पूर्व फैक्स /ई-मेल/हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा जिससे कि, राज्य स्तर से प्रशिक्षणों का अनुश्रवण किया जा सके। डायट तथा DPO द्वारा मिलकर विभिन्न प्रशिक्षणों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (Monitoring /Supervision) हेतु टीमों का गठन कर अनुश्रवण किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रशिक्षण फेरे के उपरान्त डायट तथा DPO द्वारा अलग-अलग अनुश्रवण आख्या को ई-मेल/हार्ड कॉपी के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

जनपद विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले अध्यापकों की सूची तत्काल तैयार कर प्रशिक्षण योजना तैयार कर लें। मुख्य संदर्भदाता (KRPs) तथा मास्टर ट्रेनर्स (MTs) की योग्यता, अभिरुचि तथा अभिवृत्ति पर प्रशिक्षण निर्भर करता है। अतः इनके विषयवार चयन में विशेष साक्षाती रखी जाए। किसी भी दशा में प्रशिक्षण समय चक्र में परिवर्तन न किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्रशिक्षण प्रगति की सूचना ब्लॉकवार उपलब्ध करवानी होगी जिससे कि अपेक्षाकृत परिणाम न देने वाले ब्लॉकों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जनपद स्तर से सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने तथा कक्षा कक्ष में प्रशिक्षण के अनुप्रयोग हेतु प्रत्येक खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी/बी०आर०सी० समन्वयक/सी०आर०सी० समन्वयक को विस्तृत निर्देश अनिवार्य रूप से दिये जाय।

जनपद द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2016-17 में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु जो भौतिक एवं वित्तीय मांग की गयी है उसी के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लें कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु जनपद स्तर से प्रशिक्षण हेतु नामित शिक्षक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में प्रतिभाग करें। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि कोई शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करता है तो ऐसे शिक्षक को स्वयं के व्यय पर डायट स्तर पर प्रशिक्षण लेना होगा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने तक ऐसे शिक्षकों के पदोन्नति तथा वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाय। जनपद स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक (MTs) प्रशिक्षण तथा ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु रु० 200.00 / प्रतिभागी/दिन की दर से तथा संकुल

स्तरीय प्रशिक्षण (Follow-up of training) हेतु ₹०१००.०० / प्रतिभागी/दिन की दर से धनराशि अनुमन्य है। यदि जनपद स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक (MTs) प्रशिक्षण हेतु अनुमन्य धनराशि कम पड़ती है तो अवशेष धनराशि जनपदीय प्रबन्धन मद से व्यय की जा सकती है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु श्री अत्रेश सयाना, विशेषज्ञ ₹०४०५० को मो०८० ९४११३५१४३९ एवं श्री बी०पी० मैन्दोली, राज्य समन्वयक, के मो०८० ९४१२३६४८७१ पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया गत वर्ष की अवशेष धनराशि (Opening Balance) से उपरोक्त निर्देशानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न करवाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।  
संलग्नक:- यथोपरि।

  
(डॉ० मुकुल कुमार सती)  
अपर राज्य परियोजना निदेशक  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०सं०:- ₹०४०८०/ १५७ /पैडागॉजी/ ISTT (94)/ 2016-17 तददिनांक।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून को अवलोकनार्थ।
3. अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा को उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य संदर्भदाता प्रशिक्षण में अध्यापक दैनन्दिनी के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण/चर्चा की जानी है इस हेतु कृपया उक्त अवधि में निदेशालय स्तर से किसी अधिकारी को नामित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे। साथ ही अपने स्तर से भी सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपदों को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
5. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समर्त डायट्स को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
6. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अपने संस्थान से मुख्य संदर्भदाता प्रशिक्षण हेतु प्रवक्ता श्री शैलेश कुमार श्रीवारस्तव, श्री मनोज कुमार शुक्ला, डा० एस०को० गौड़, डा० हेमलता तिवारी को प्रतिभाग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रेषित।
8. श्री वैंकटेश मैलूर, अध्यक्ष सम्पर्क फाउण्डेशन, ए-१७६, सेक्टर ४०, नोएडा उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. राज्य प्रबन्धक, रूम टू रीड, इण्डिया ट्रस्ट ७४/१ बलबीर रोड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(डॉ० मुकुल कुमार सती)  
अपर राज्य परियोजना निदेशक  
उत्तराखण्ड, देहरादून।